उपस्थितिः–

1. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 12–03–2016 के विरूद्व जिसके द्वारा प्रार्थी द्वारा लोक अदालत की भावना से जरिये विड्रावल खारिज की गई, के विरूद्व इस न्यायालय में अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस करते हुए बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई है। जिन्होंने अपने नाम से खातेदारी भूमि

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 15/16 **निर्णय दिनांकः–** 23-10-17

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र बंजारासिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 ए.एम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र बंजारासिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 ए.एम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत

रेस्पोडेन्ट्स

प्रार्थना पत्र विरूद्व आदेश दिनांक 12–03–2016
राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉं, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 12–03–2016 के विरूद्व जिसके द्वारा प्रार्थी द्वारा लोक अदालत की भावना से जरिये विड्रावल खारिज की गई, के विरूद्व इस न्यायालय में अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस करते हुए बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई है। जिन्होंने अपने नाम से खातेदारी भूमि

जरिये बैयनाराम दिनांक 29—12—1993 को चक 5 ए.एम तहसील कोलायत के सीमा क्षेत्र में स्थित मुरब्बा नम्बर 73/55 के किला नम्बर 1 ता 4, 9 ता 25 तादादी 21 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 73/56 के किला नम्बर 1 ता 19, 22 ता 25 तादादी 23 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 48 बीघा अपने सगे भाइ वीरपालसिंह से संयुक्त बहिस्सा बराबर—बराबर खरीद कर रखी है। जिसके आधार पर 1/3 हिस्सा प्रार्थी का बनता है व काबिज होकर काश्त कर रहा है।

उन्होंने आगे बहस में बताया कि उपरोक्त चक के मुरब्बा नम्बर 73/47 के किला नम्बर 12 ता 17, 23 ता 25 एवं मुरब्बा नम्बर 73/48 के किला नम्बर 2 ता 6 कुल तादादी 9 बीघा का स्माल पेच आवंटन नियम विरूद्व तरीके से अप्रार्थी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में कैम्प भलूरी में दिनांक 10—12—2010 को अपने नाम से करवा लिया। जिसकी जानकारी पर अपील करने पर दोनों पक्षों के मध्य आपसी राजीनाम होने से प्रार्थी ने उक्त अपील को दिनांक 10—3—2016 को विड्रा करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12—3—2016 को जरिये विड्रावल खारिज फरमा दी गई।

उक्त अपील को विड्रा किये जाने के साथ ही एक लिखित समझौता लिखा गया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में से 3 बीघा भूमि गुरजन्ट सिंह अपीलांट/प्रार्थी को देगा, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के मन में लालच आ गया व उसने बैयनामा करवाने से इंकार कर दिया। अतः न्यायहित में आवश्यक है कि उपरोक्त उनवानी अपील पुनः सुनवाई हेतु रेस्टोर की जाकर नम्बर पर ली जावे ताकि प्रार्थी के साथ न्याय हो सके।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 12—03—2016 को जरिये विड्रावल निरस्त फरमाई गई है। जो प्रार्थना पत्र में वर्णित आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत नहीं आती है। जहॉ तक इकरारनामें का प्रश्न है दिनांक 10—3—2016 को तथाकथित समझौता, ईकरारनामा अप्रार्थी द्वारा निष्पादित किया हुआ नहीं है ना ही अप्रार्थी का प्रार्थी के साथ किसी प्रकार का समझौता या ईकरारनामा कभी हुआ है। इस कारण प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन निरस्त किये जाने योग्य है।

उन्होंने आगे अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से बाहर है क्योंकि प्रार्थी ने दिनांक 12—03—2016 को अपील स्वेच्छा से जरिये विड्रावाल निरस्त करवाई है। जो स्पष्ट रूप से आदेश 23 नियम 1 के ताबे की गई है जिसे आदेश 23 नियम 3 के तहत रेस्टोर करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र संधारण योग्य ना होने के कारण निरस्त योग्य है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2001(1) पेज 505 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (अ) हस्तगत् प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष लम्बित अपील संख्या 284/2015 उनवान बलविन्द्र सिंह बनाम सरकार में उभय पक्ष दिनांक 10—3—2016 को उपस्थित आकर अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है, अभिभाषक उत्तरवादी ने अनापत्ति पेश करने पर दिनांक 12—03—2016 को चूंकि पक्षकारों के मध्य राजीनाम हो चुका है अतः अपील जरिये विड्रावल खारिज की गई।

(ब) प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा न्यायालय से बाहर किया जाकर, राजीनाम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामें के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर अथवा संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि तथाकथित राजीनामें को न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक किया गया हो। केवल मात्र यह अंकित करते हुए कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है अतः अपील विड्रा करना चाहते है के आधार पर अपील जरिये विड्रावल खारिज की गई है।

(स) चूंकि पक्षकारों के मध्य राजीनामें के आधार पर अपील विड्रा की गई है। राजीनामा किस आराजी के संबंध में पक्षकारों के मध्य किया गया, यह तथ्य अपील विड्रा करते समय पत्रावली पर पेश नहीं किये गये है। राजीनामा न्यायालय के समक्ष न किया जाकर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

न्यायालय के बाहर किया गया है, व न ही अपील विड्रा करते समय तथाकथित राजीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(द) इस प्रकार पक्षकारों को न्याय प्रक्रिया का अपने हितों या इच्छानुसार बेजा लाभ उठाने की प्रवृति को हतोत्साहित करना न्याय हित मे समीचीन है। पक्षकारों को पूर्व में अपने कृत्यों के न्यायिक परिणामों के बारे में सावचेतता बरतनी चाहिए। लिहाजा इस स्तर पर पुनः अपने ही पूर्व कथनों से विमुख होने का अवसर देना उचित नहीं समझते।

(य) लिहाजा ऐसी स्थिति में प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः बिन्दु संख्या 6 के मद संख्या अ से द के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23-1-12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
सत्यमेव जयते